राजस्व लोक अदालत 2015

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट : श्री उदयभानु चारण,आर.ए.एस.

कैम्प–पचपदरा दिनांक 19–5–2015

मुकदमा नंबर राजस्व वाद 219/2014

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. महावीरचन्द पुत्र दीपचन्द जाति जैन 2. हीरोदेवी पत्नी महावीरचन्द जाति जैन निवासियान बालोतरा तहसील पचपदरा		1. अशोक कुमार वल्द गुणेशमलजी जाति ओसवाल 2. कान्तादेवी पत्नी अशोक कुमार जाति ओसवाल निवासी बालोतरा 3. अजयकुमार वल्द अशोककुमार जाति ओसवाल 4. अमितपालसिंह पुत्र शेरसिंह जाति खारवाल 5. जितेन्द्रकुमार पुत्र गोविन्दराम जाति दवे 6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट
बाबत रेकर्ड दुरूस्ती करने हेतु

निर्णय

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत में पेश हुई । प्रार्थीगण का संक्षिप्त में वाद इस प्रकार है कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के सहखातेदारी की भुमि खेत खसरा सं0 681 रकबा 23.15 बीघा भुमि में पक्षकारान के मध्य बंटवाड़ा किया जा कर तहसीलदार पचपदरा राजस्व नक्शे में तरमीम की गई है । प्रार्थीगण द्वारा उक्त तरमीम मौके पर कब्जानुसार न होना बता कर राजस्व रेकर्ड में पुनः तरमीम दुरूस्ती किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण में राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया । राजस्व अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के हिस्सेनुसार बंटवाड़ा किया जा कर तरमीम की गई है। उक्त तरमीम के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई आदेश प्रदान करने का हक राजस्व लोक अदालत को नही है। तहसीलदार पचपदरा के आदेश के विरूद्ध अपील श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट(जिला कलक्टर) बाड़मेर के समक्ष की जा सकती है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य न होने से खारिज किया जाता है। प्रार्थीगण को सूचित किया जाता है कि उक्त संबंध में प्रार्थना पत्र श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट(जिला कलक्टर) बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत करें। पक्षकार खर्चा अपना अपना वहन करें। पत्रावली बाद तामिल दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 19.5.15 को लिखाया जा कर मजमे आम में लिखवाया जा कर सुनाया गया।

(उदय भानु चारण)
सहायक कलक्टर
(एस.डी ओ) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी ... 2015
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
बालोतरा कैम्प